भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 5811

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

सेवा क्षेत्र में बढती असंगठितता

5811. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेवा क्षेत्र में बढ़ती असंगठितता और कम मजदूरी वाले रोजगार की प्रवृत्तियों पर कोई ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सेवा क्षेत्र में रोजगार की प्रवृत्ति का औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार वर्गीकरण सहित वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कम मजदूरी वाले रोजगार नियोजनों और क्षेत्रकगत उत्पादकता संबंधी असमानताओं के जोखिमों के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज, कौशल विकास और सेवा क्षेत्र के रोजगार को सुसंगठित बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा रोजगार में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और 27 उद्योगों संबंधी रोजगार अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सेवा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2017-18 में 16.2 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 20.15 करोड़ हो गई है। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में भी यह संख्या 5.47 करोड़ से बढ़कर 6.3 करोड़ हो गई है। वर्षवार विवरण https://rbi.org.in/Scripts/KLEMS.aspx पर देखा जा सकता है।

रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, रोजगार को (औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र सहित) दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है।

इसके अलावा, सितंबर, 2017 और जुलाई, 2025 के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 8.23 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं, जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। साथ ही, वर्ष 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 कार्यबल के औपचारिकीरण को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र जारी करने की व्यवस्था देती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कवरेज को पूरे भारत में बढ़ाकर, 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक कवरेज की अनुमति देकर और खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे एक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए भी कवरेज को अनिवार्य करके सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवरेज अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिसमें पहले के अनुसूची-आधारित प्रतिबंध को हटा दिया गया था। इसके अलावा, ईपीएफओ की कर्मचारी नामांकन योजना (ईईएस) नियोक्ताओं को छूटे हुए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का एक समयबद्ध अवसर प्रदान करती है, जिससे उनकी औपचारिकता सुनिश्चित होती है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत पूरे देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से जुड़े कौशल से लैस करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****